491

नि0/अरिया/भू-रा0/2017/3492

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल कार्यालय सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

विलोपित / विलोपित

Rs. 30/-

धन्नू कुशवाहा आत्मज झूरू उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा थाना व तहसील मानपुर उमरिया म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

रामचरण आत्मज कोकइया काछी साकिन छपड़ौर थाना व तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 ....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त अनपुर तहसील मानपुर जरिये, प्रकरण क्र. 35 अ-12/ 2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 28/7/17 जिसमे बिना विचार किये आपत्ति निरस्त किया धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 ई.,

---

माननीय श्री ... द्वारा पेश 25-9-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

आवेदक निगरानी कर्ता विनम्र निवेदन करता है कि:-

§1§- यहकि राजस्व निरीक्षक तहसील मानपुर का आदेश कानूनन वाक्याता त्रुटि पूर्ण है ।

§2§- यहकि पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन चैन सर्वे मे सिद्धान्त तथा नियमो के अनुकूल नही है । सर्वे का नियम यह है कि किसी खसरा नम्बर को पैमाइस करने के लिये एक मुस्तकिल बिन्दू को चारो तरफ से नापकर सत्यापित करना चाहिये कि नक्शे के अनुसार मौके पर भी वहसही स्थान पर है ।

3- यहकि फील्ड बुक देखने से पताचलता है कि नाप कर्ता से ए से बी. , बी, से सी. ,सी ,डी. आदि तक नाप करने का वर्णन है किन्तु यह कहीं -

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निग./उमरिया/भू.रा./2017/3492

धन्नू कुशवाहा विरूद्ध रामचरण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अनूपपुर, जिला-उमरिया के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये (आर.के. जैन) 22.01.19 सदस्य	